

प्रेस- नोटथाना अहरौलासोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 07.03.2024 को वादी मुकदमा सिद्धार्थ सिंह उर्फ हैपी सिंह पुत्र बृजेश कुमार सिंह ग्राम शम्भूपुर(पूरा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि ऋषिकेश उर्फ रिकी यादव पुत्र बरखू यादव निवासी ग्राम लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो व अखिलेश यादव के साथ आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/24 धारा 153ख/505 भादवि बनाम रिकी यादव पुत्र अज्ञात साकिन लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08.03.2024 को उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ऋषिकेश उर्फ रिकी यादव पुत्र बरखू यादव निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को बसही बाजार में पास समय करीब 13.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा बाद पुलिस कार्यवाही अभि0 को मा0 न्याया0 भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 94/24 धारा 153ख/505 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-ऋषिकेश उर्फ रिकी यादव पुत्र बरखू यादव निवासी ग्राम लेदौरा थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 102/22 धारा 308/323/325/34/504/506 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह मय हमराह हे0का0 राजेश कुमार व हे0का0 राकेश कुमार सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

थाना- फूलपुरकिशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तारपूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 27-01-24 को वादी मुकदमा थाना फूलपुर आमजगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी आकाश पुत्र कमलेस सा0 मुडियार थाना फूलपुर द्वारा वादी मुकदमा की लड़की को कहीं भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 40/24 धारा 363/366 भादवि विरुद्ध बनाम आकाश पुत्र कमलेस सा0 मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ पंजीकृत है।

➡विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर के आधार पर अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र हरदेव सा0 शुम्भी बाजार धरमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा धारा पर बढोत्तरी धारा 376 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 08-03-2024 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 दिनेश कुमार पुत्र हरदेव सा0 शुम्भी बाजार धरमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को खुरासन रेलवे स्टेशन से समय करीब 14.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 40/24 धारा 363/366 भादवि व बढोत्तरी धारा 376 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. दिनेश कुमार पुत्र हरदेव सा0 शुम्भी बाजार धरमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव का0 महेन्द्र सरोज थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना- फूलपुर
कूटरचना कर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 17-02-24 को वादी मुकदमा अंकित तिवारी शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इन्डिया जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा यूनियन बैंक आफ इन्डिया 1500000 (पन्द्रह लाख रुपया) लोन लेना तथा शीघ्र ही किस्त का पैसा जमा करना बन्द कर देना मांग करने पर टाल मटोल करना तथा दिनेश के मिलकर उसके तीन मंजिला मकान को अपना बता कर स्वयं की फोटो बनवा कर जाली रुप से वकील के साथ मिलकर कर अपनी प्रापर्टी रिपोर्ट सत्यापन करा कर बैंक में प्रस्तुत करना तथा लोन का पैसा न जमा करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/24 धारा 420/467/468/471/506 भादवि विरुद्ध बनाम विनोद प्रजापति पुत्र बुद्धु प्रजापति सा0 चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ आदि पंजीकृत है। विवेचना उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय के द्वारा की रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 08-03-2024 को उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 विनोद प्रजापति पुत्र बुद्धु प्रजापति सा0 चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को मुडियार ईदगाँह से समय करीब 10-50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 78/24 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. विनोद प्रजापति पुत्र बुद्धु प्रजापति सा0 चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय का0 वीरेन्द्र यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुर
अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 01-03-24 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी विपक्षी आलोक पाण्डेय पुत्र रामअधीन सा0 दुर्वाषा पण्डौली थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की लडकी को कहीं भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/24 धारा 363/366 भादवि विरुद्ध बनाम आलोक पाण्डेय पुत्र रामअधीन सा0 दुर्वाषा पण्डौली थाना फूलपुर आजमगढ़ पंजीकृत है। विवेचना उ0नि0 बासुदेव मिश्रा के द्वारा की रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 07-03-2024 को उ0नि0 बासदेव मिश्रा मय हमराह द्वारा वांछित अभि0 आलोक पाण्डेय पुत्र रामअधीन सा0 दुर्वाषा पण्डौली थाना फूलपुर आजमगढ़ को बस स्टैण्ड फूलपुर से समय करीब 19-20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 105/24 धारा 363/366 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. आलोक पाण्डेय पुत्र रामअधीन सा0 दुर्वाषा पण्डौली थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 बासदेव मिश्रा व का0 आलोक सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.03.23 को वादी मुकदमा धीरेन्द्र सिंह प्रबन्धक माँ सुशीला सिंह गर्लस कालेज आफ एजुकेशन जखॉवा वरौना आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि विद्यालय के सीमेन्टेड पीलर को क्षतिग्रस्त कर पीलर की सरिया को काट कर अज्ञात चोरो उठा ले गये है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1. इन्दल पुत्र छोटे लाल (2) इन्द्रेष पुत्र छोटे लाल समस्त निवासी ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 08.03.2024 को उ0नि0 जुबेर अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. इन्दल पुत्र छोटे लाल 2. इन्द्रेष पुत्र छोटे लाल समस्त निवासी ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को बरौना नहर पुलिया से समय करीब 08.10 बजे चोरी के सरिया (टुकड़ा) के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इन्दल पुत्र छोटे लाल ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

2. इन्द्रेष पुत्र छोटे लाल ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 73/24 धारा 379 भादवि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरांमदगी- 37.500 किग्रा0 लोहे की सरिया का टुकड़ा (चोरी के)

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

पुलिस टीम - उ0नि0 जुबेर अहमद, का0 यशपाल गुप्ता, का0 भुपेन्द्र नाथ मिश्रा थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना अहरौला

चोरी के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 31.12.2023 को वादी मुकदमा अंगद पाण्डेय पुत्र स्व0 दिनेश पाण्डेय निवासी ग्राम खादारामपुर (बनपार) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 28.12.2023 की रात्रि मे वादी की मोटरसाइकिल (नं0 UP50AD0926 पैशन प्रो) को गांव के ही आदित्य पाण्डेय पुत्र स्व0 दिनेश पाण्डेय निवासी ग्राम खादारामपुर (बनपार) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ चोरी कर भाग गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 459/23 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 01.01.2024 को अभियुक्त हर्षित बरनवाल पुत्र स्व0 संतोष बरनवाल निवासी दैत्रावीर, हनुमान मन्दिर के सामने, शान्तिपूरम कालोनी. लालपुर/पाण्डेयपुर, वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी) को उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल (नं0 UP50AD0926 पैशन प्रो) के साथ थाना लालगंज/पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना लालगंज/पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 002/24 धारा 411/414 भादवि बनाम 1. आदित्य पान्डेय पुत्र स्व0 दिनेश पाण्डेय निवासी खादारामपुर (बनपार) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. हर्षित बरनवाल पुत्र स्व0 संतोष बरनवाल निवासी दैत्रावीर, हनुमान मन्दिर के सामने, शान्तिपूरम कालोनी. लालपुर/पाण्डेयपुर, वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08.03.2024 को उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आदित्य पाण्डेय पुत्र स्व0 दिनेश पाण्डेय निवासी खादारामपुर (बनपार) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को बसही बाजार से समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 459/23 धारा 379/411/414 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-आदित्य पान्डेय पुत्र स्व0 दिनेश पान्डेय निवासी खादारामपुर (बनपार) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 064/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना लालपुर/पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी।

2. मु0अ0सं0 002/2024 धारा 411/414 भादवि थाना लालपुर/पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रकाश मिश्रा मय हमराह हे0का0 इन्द्रमणि पटेल, का0 उमेश गौड़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।